



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक नवम्बर 15, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 363 वाहनों का चालान किया गया। तथा 18 वाहनों से 16500/ रू0 शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्ता जसमती पत्नी सुरेन्द्र निवासी सलामतगढ़ थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 204/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्ता सम्भा देवी पत्नी राधेश्याम निवासी बजही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 22 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 557/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त विजुला देवी पत्नी अमरजीत साहनी निवासी बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/22 धारा 60(1) ख आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्ता जानकी पत्नी स्व० रामनेवीस निवासी तिनकोनिया नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 299/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया । तथा अभियुक्त कैलाश केवट पुत्र भगौती निवासी सेमरहनी टोला वनटगिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 300/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्तगण नागेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र इन्द्रसेन जयसवाल निवासी कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से डब शैम्पू 43 गत्ता, क्लिनिक प्लस शैम्पू 08 गत्ता, क्लोजप मंजन 17 गत्ता, पाँडस पाउडर 42 गत्ता मय एक अदद पिकप बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 14/15.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 40 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।